न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 207/2024(GCMS : 2024/299)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज II स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002, तमिलनाडू, तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019, राजस्थान

बनाम

1. **गुरमीत सिंह** पुत्र श्री राज सिंह, उम्र 28 वर्ष पता वार्ड संख्या 07, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335027 मोबाईल नं. 88907–93903
2. **राज सिंह** पुत्र श्री तारा सिह, उम्र 51 वर्ष पता वार्ड संख्या 07, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335027 मोबाईल नं. 80580–67527
3. **छिन्द्रपाल कौर** पत्नी श्री राज सिंह उम्र 48 वर्ष पता वार्ड संख्या 07, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335027 मोबाईल नं. 88907–93903

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव मिढा एवं सुश्री माया वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण गुरमीत सिंह, राज सिंह एवं छिन्द्रपाल कौर को ऋण सुविधा के रूप में 2.01/– लाख रूपये की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 24.06.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 28.04.2023 को 2,30,742/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी छिन्द्रपाल कौर एवं राज सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति वार्ड संख्या 07, पुराना फरीदसर, केसरीसिंहपुर, तहसील करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसका कुल क्षेत्रफल [illegible] 48 [illegible]फीट है। जिसके पूर्व में नत्था सिंह का मकान है, [illegible] है, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में Water Box है,** का भौतिक कब्जा [illegible] बैंक को पुलिस [illegible]यता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** गुरमीत सिंह, राज सिंह एवं छिन्द्रपाल कौर को ऋण सुविधा के रूप में 2.01/–लाख रूपये **(अखरे रूपये दो लाख एक हजार हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 24.06.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी छिन्द्रपाल कौर एवं राज सिंह ने अपनी **अचल सम्पत्ति वार्ड संख्या 07, पुराना फरीदसर, केसरीसिंहपुर, तहसील करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसका कुल क्षेत्रफल 748 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में नत्था सिंह का मकान है, पश्चिम में खाली प्लाट है, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में Water Box है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.08.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिक रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी छिन्द्रपाल कौर एवं राज सिंह की अचल सम्पत्ति वार्ड संख्या 07, पुराना फरीदसर, केसरीसिंहपुर, **तहसील करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसका कुल क्षेत्रफल 748 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में नत्था सिंह का मकान है, पश्चिम में खाली प्लाट है, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में Water Box है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.05.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 02.05.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.05.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी छिन्द्रपाल कौर एवं राज सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक [illegible] संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी छिन्द्रपाल कौर एवं राज सिंह **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति वार्ड संख्या 07, पुराना फरीदसर, केसरीसिंहपुर, तहसील करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसका कुल क्षेत्रफल 748 वर्गफीट है। जिसके पूर्व में नत्था सिंह का मकान है, पश्चिम में खाली प्लाट है, उत्तर में रास्ता व दक्षिण में Water Box है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर